जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

मैं, मीरा कुमारी, पत्नी स्वर्गीय सुरेश बाबू, पुत्री घासी राम, निवासी मकान संख्या-1139, सेक्टर-14, इंदिरानगर, लखनऊ, ने अपना नाम मीरा कुमारी से बदलकर मीरा चौधरी कर लिया है। भविष्य में मैं मीरा चौधरी नाम से जानी जाऊँगी।

I, Asad Ur Rahman S/o Late Saeed Ur Rahman, R/o 314/1-B, Mirza Mandi Chowk, Lucknow, have changed my son's name from Ameen Ur Rahman to Uzaif Ur Rahman vide affidavit No.IN-UP02415630935062X dated 18-10-2025 0060133424-1

My name is recorded as Saroj Singh in theAadhaar card, family register, and revenuerecords, whereas in some other records it is SarojaDevi, which is erroneous. Both names are mine. Ishould be known and identified by the correctname Saroj Singh only, and it should be recordedin the records accordingly. Saroj Singh, wife ofRam Raj Singh, resident of Thauri Jagdishpur,Amethi. 0060133427-1

I, Paul Raj Muthu Esakkiammal, legally wedded spouse of Army No.-15717783Y, Rank-NK, Name-Paul Raj T, Unit-31 ADSR (A), C/o 56-APO presently R/o Vill.-Alagai Pandia Puram, P/O-Alagai Pandia Puram, Teh.-Manur, P/S-Manur, Distt.-Tirunelveli, Tamil Nadi-627201 have changed my name from PAUL RAJ MUTHU ESAKKI-AMMAL to MUTHU ESAKKI-AMMAL P vide affidavit No. IN-UP04157428582250X dated 23-10-2025 0060133430-1

I, Maya Devi, legally mother of Army No. 15580234K, Rank-NK, Name-Shakti Singh, Unit-114 AER, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Manethi, P/O-Jalawas, Teh.-Mundawar, P/S-Mundawar, Distt.-Alwar, Rajasthan-301714 have changed my date of birth from 06/08/1950 to 01/01/1950 vide affidavit No.IN-UP04158761344987X dated 23-10-2025 0060133430-3

I, Durgesh Devi, legally mother of Army No. 14846505M, Rank-NK, Name-Gaurav Chaudhary, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Badeshra, P/O-Badeshra, Teh.-Atrauli, P/S-Pali Mukimpur, Distt.-Aligarh, Uttar Pradesh-202131 have changed my date of birth from 01/07/1962 to 01/01/1965 vide affidavit No.IN-UP98852606918428X dated 16-10-2025 0060133430-5

I, Army No. 15580234K, Rank-NK, Name-Shakti Singh, Unit-114 AER, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Manethi, P/O-Jalawas, Teh.-Mundawar, P/S-Mundawar, Distt.-Alwar, Rajasthan-301714 have changed my son's name from ADITYA to ADITYA KUMAR vide affidavit No.IN-UP04158268554370X dated 23-10-2025 0060133430-2

I, Army No. 14846505M, Rank-NK, Name-Gaurav Chaudhary, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Badeshra, P/O-Badeshra, Teh.-Atrauli, P/S-Pali Mukimpur, Distt.-Aligarh, Uttar Pradesh-202131 have changed my son's name from TANISH to TANISH CHAUDHARY vide affidavit No.IN-UP96861174956518X dated 15-10-2025 0060133430-6

I, Army No. 14846505M, Rank-NK, Name-Gaurav Chaudhary, Unit-531 ASC BN, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Badeshra, P/O-Badeshra, Teh.-Atrauli, P/S-Pali Mukimpur, Distt.-Aligarh, Uttar Pradesh-202131 have changed my daughter's name from ICHCHHA to ICHCHHA KUMARI vide affidavit No.IN-UP96860537448213X dated 15-10-2025 0060133430-7

I, Anita Devi, legally wedded spouse of Army No. 15580234K, Rank-NK, Name-Shakti Singh, Unit-114 AER, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Manethi, P/O-Jalawas, Teh.-Mundawar, P/S-Mundawar, Distt.-Alwar, Rajasthan-301714 have changed my date of birth from 23/09/1987 to 23/09/1989 vide affidavit No.IN-UP04158602286829X dated 23-10-2025 0060133430-4

खोया+पाया

सूचित हो कि प्लाट खसरा सं. 124 का भाग, ग्राम तकरोही, तहसील व जिला लखनऊ का बैनामा दिनांक 20/10/2011 क्रमांक संख्या 7901 का मूल अंतिम पृष्ठ खो गया है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग गैरकानूनी होगा। दीपक मिश्रा, पुत्र बाल कृष्ण मिश्रा, निवासी 404, सेक्टर 19, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

शामली में दो पक्षों में विवाद, व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

गली से मिट्टी हटाने को लेकर हुआ विवाद, सेना का जवान गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

शामली जिले के झिंझाना थानाक्षेत्र के एक गांव में गली में घर के बाहर डाली गई मिट्टी को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान बीच बचाव के दौरान एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इदरीस (35) के रूप में हुई है और इस घटना के सिलसिले में सेना के जवान अजीत को गिरफ्तार किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गांव वेदखेड़ी निवासी इरफान ने अपने मकान की छत के लिए मिट्टी अपने घर के बाहर गली में डाल रखी थी। बुधवार देर रात को गांव का विकास पाल झिंझाना से कार लेकर अपने घर जा रहा था। कार में गांव निवासी सेना का जवान अजीत भी था। रास्ते में मिट्टी पड़ी देखकर विकास ने इरफान को मिट्टी हटाने को कहा। इरफान ने मिट्टी के ऊपर से कार लेने को कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई। बताया गया है कि इसी दौरान पड़ोसी इदरीश बीच बचाव के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने लोहे की राड से पीट पीटकर उसे अधमरा कर दिया। अस्पताल ले जाते समय इदरीश की मौत हो गई।

> **मामले** में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने घटना का विरोध किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में सेना के जवान अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच, स्थानीय लोगों ने घटना का विरोध किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

तैयारी वाराणसी में गुरुवार को छठ पूजा उत्सव की तैयारियों के बीच गंगा नदी के किनारों की सफाई करते श्रमिक।

मिर्जापुर में चबूतरा निर्माण पर तनाव

मिर्जापुर, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

जिले के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बुधवार शाम तब तनाव फैल गया जब गांव वालों ने एक घर में मजार जैसा चबूतरा बनाए जाने पर आपत्ति जताई।

पुलिस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, 22 अक्तूबर को रात करीब आठ बजे जानकारी मिली कि तिवारी पुर कुशहा गांव में राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह और रवि सिंह ने अपने घर में मजार जैसा चबूतरा बनाया है। उनका दावा था कि यह उनकी बहू पर बुरी आत्माओं के असर को दूर करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने इस निर्माण कार्य का विरोध किया।

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057, शाखा कार्यालय : कार्यालय संख्या 510-ए, पांचवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, प्लॉट संख्या टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन 226010

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकायों की वसूली के लिए **28 नवंबर, 2025** (ई-नीलामी तिथि) को **"जैसा है जहां है", "जो है यही है"** और **"जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी को डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी के पास 27 नवंबर, 2025 को 5 बजे अप. तक **शाखा कार्यालयः** कार्यालय संख्या 510-ए, पांचवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, प्लॉट संख्या टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन 226010 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम	माँग सूचना तिथि तिथि तक राशि	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक कब्जे के तहत)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HHFLUCHOU 19000004063	मोहम्मद रबीउलअव्वल, शाजिया अव्वल	25/09/2023, रु. 30,05,495/- तिथि 15/10/2025	भौतिक	रु. 30,00,000/-	रु. 3,00,000/-
संपत्ति का विवरणः- प्लॉट संख्या- 03, खसरा संख्या 328 मिन का भाग, क्षेत्रफल 3500 वर्ग फुट अर्थात 325.278 वर्ग मीटर, ग्राम-भूहर, वार्ड-हैदरगंज जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित, सीमाएं : उत्तरः 16 फुट चौड़ी सड़क, पूर्वः प्लॉट बेनजीर साबिरी, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः नन्ही का प्लॉट					
HHFLUCHOU 19000002965	अनुराग गुप्ता, ज्योति कुमारी	23/05/2024, रु. 15,62,871/- तिथि 15/10/2025	भौतिक	रु. 12,50,000/-	रु. 1,25,000/-
संपत्ति का विवरणः- प्लॉट संख्या 38, खसरा संख्या 34 मिंज पर निर्मित मकान, क्षेत्रफल 46.468 वर्ग मीटर / 500 वर्ग फीट, ग्राम-कोडर, वार्ड-सादतगनी, तहसील और जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित। सीमाएं : उत्तरः अन्य का प्लॉट, पूर्वः प्लॉट संख्या 37, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 39.					
HHFLUCHOU 20000011716	हिमांशु मल्ल, अंजिता मल्ल	26/07/2024, रु. 14,62,743/- तिथि 15/10/2025	भौतिक	रु. 12,00,000/-	रु. 1,20,000/-
संपत्ति का विवरणः- प्लॉट संख्या 84, खसरा संख्या 153 मिंज के भाग पर निर्मित मकान, क्षेत्रफल 30.669 वर्ग मीटर अर्थात 330 वर्ग फीट, कुल निर्मित क्षेत्रफल 37.174 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग फीट, गाँव- रहीम नगर डुडौल, वार्ड- फलजुल्लागंज, तहसील और जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित। सीमाएंः- पूर्वः गुफरान का मकान, उत्तरः इरफान का प्लॉट, पश्चिमः 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः गुलाब गुप्ता का मकान।					
HHFLUCHOU 19000000962	मोती लाल संगीता, अमित सिंह	19/02/2024, रु. 25,17,144/- तिथि 15/10/2025	भौतिक	रु. 24,00,000/-	रु. 2/40,000/-
संपत्ति का विवरणः- फ्लैट संख्या बी-101, प्रथम तल का कवर्ड एरिया 62.267 वर्ग मीटर/670 वर्ग फीट, 7 सुपर क्षेत्रफल 66.914 वर्ग मीटर/720 वर्ग फीट अनी शक्ति, फेज 1, प्लॉट संख्या 11, 12, 13 और 14, खसरा संख्या 215 और 217 मिन पर स्थित, भरवारा, वार्ड चिनहट, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227105 में एक कार पार्किंग की सुविधा के साथ। सीमाः उत्तरः खुला आकाश, पूर्वः सामान्य मार्ग, दक्षिणः अन्य लोगों का फ्लैट, पश्चिमः खुला आकाश					

नियम एवं शर्तें : ई-नीलामी पोर्टल https://bankeauctions.com के माध्यम से 28 नवंबर, 2025 (ई-नीलामी की तिथि) को 11.00 बजे पूर्वा. के बाद 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ सम्पन्न होगी।
इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी या डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में जमा करानी होगी। ईएमडी राशि ई-नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।
ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें :
1. ई-नीलामी **"जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है वहीं है"** और **"बिना किसी आश्रय"** के आधार पर आयोजित किया जा रहा है और इसे 'ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। 2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी। 3. ई-नीलामी मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री धरणी कृष्णा- 9948182222 (हेल्पलाइन नंबरः सपोर्ट लैंडलाइन नंबर +91 124 4302020/2021/2022/2023/2024, सपोर्ट मोबाइल नंबरः +917291981124/25/26 तथा ई-मेल support@bankeauctions.com/ andhra@c1india.com) के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://bankeauctions.com पर आयोजित की जाएगी। 4. प्रतिभूत लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपने बिल जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटः **www.herohousingfinance.com** में प्रकाशित की गई हैं 6. संपत्ति के विवरण और संपत्ति देखने के लिए श्री इरशाद अली / **ershad.ali@herohfl.com**/ 8802270415 तथा शेखर सिंह/9711522275/ **shekhar.singh@herohfl.com** से संपर्क करें। 7. संभावित बोलीदाता पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ 21 नवंबर, 2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिवसीय बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को एतद्वारा धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले ब्याज और व्यय के साथ करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आपसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,
कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की वेबसाइट यानि www.herohousingfinance.com
पर लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice देखें।

दिनांकः 24.10.2025
स्थानः लखनऊ

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
अधिकृत प्राधिकारी,
श्री शेखर सिंह, मो. 9711522275,
ई-मेल : shekhar.singh@herohfl.com

अयोध्या फैसले को अमान्य घोषित करने संबंधी याचिका खारिज करने का आदेश बरकरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अक्तूबर।

दिल्ली की एक अदालत ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज करने के एक दीवानी न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। जिला अदालत ने दीवानी अदालत के अप्रैल 2025 के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। दीवानी अदालत ने एक लाख रुपए के जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी थी।

जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस बात को रेखांकित किया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर से मार्गदर्शन लेने की, चाहे वह कानून में हो या किसी भी धर्म में, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए

कपटपूर्ण कार्य के रूप में निंदा नहीं की जा सकती। उन्होंने तुच्छ मुकदमा दायर करने की समस्या को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पांच लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। अदालत ने मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए कहा कि प्राचा ने दावा किया था कि पुणे में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वीकार किया था कि अयोध्या मामले में अक्तूबर 2019 का फैसला 'भगवान श्री राम लला विराजमान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए समाधान के संदर्भ में था।' उसने कहा कि इसी के आधार पर प्राचा ने फैसले को रद्द करने के साथ-साथ नए सिरे से निर्णय लिए जाने का अनुरोध करते हुए एक मुकदमा दायर किया।

अदालत ने उल्लेख किया कि दीवानी न्यायाधीश द्वारा याचिका खारिज किए जाने के आदेश के विरुद्ध प्राचा ने वर्तमान अपील दायर की। न्यायाधीश राणा ने 18 अक्तूबर के आदेश में पांच लाख रुपए के अतिरिक्त जुर्माने के साथ अपील को खारिज करते हुए कहा कि अधीनस्थ अदालत (दीवानी अदालत) द्वारा लगाया गया जुर्माना इस प्रकार की याचिकाएं दायर करने से रोकने के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है।

खबर कोना

वाराणसी : ट्रक से भिड़ी मोटरसाइकिल, दो की मौत

वाराणसी, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक से वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा। डाक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कराया।

तिलक कर बहनों ने भैयादूज पर की सुख समृद्धि की कामना

मुजफ्फरनगर, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

भाई-बहन के प्यार का त्योहार भैया दूज उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई का रोली चावल से तिलक कर आरती उतारी और उनकी लंबी आयु की कामना की। साथ ही मुंह मीठा कराकर नारियल का गोला भेंट किया। भाइयों ने भी बहनों को उनकी मनपसंद उपहार दिए और रक्षा का संकल्प लिया। यह पर्व भाई-बहन के स्नेह और विश्वास की डोर को और मजबूत करने का पर्व है। भैयादूज पर बहनों ने भाइयों को रोली-चावल से तिलक कर सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान शहर के बाजारों में खासी चहल पहल देखने को मिली। मिठाई की दुकानों पर खासी भीड़ रही। शहर की गलियों और सड़कों पर भी रौनक रही। इस अवसर पर भाई-बहनों का सुबह से ही एक-दूसरे के घर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूरदराज से बहनें अपने भाइयों के घर पहुंची तो कुछ भाइयों ने भी अपनी बहनों के घर जाकर तिलक कराया।

उन्नाव : किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या

उन्नाव, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लहरापुर के मजरा चिंगर पुरवा में मामूली बात को लेकर सिरफिरे ने अपने साथियों संग मिलकर चाकूओं से गोदकर किशोरी को मौत के घाट उतार दिया। दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिंगर पुरवा में गुरुवार को सुबह एक वीडियो वायरल करने को लेकर अमर सिंह की 16 वर्षीय पुत्री आरती तथा पड़ोसी राजेश पुत्र गुड्डू के मध्य कहा- सुनी के बाद आरती ने राजेश के विरुद्ध पुलिस चौकी गंज मुरादाबाद में प्रार्थना पत्र देने की धमकी दी। किंतु माता-पिता के समझाने बुझाने पर आरती प्रार्थना पत्र देने पुलिस चौकी नहीं गई। इसके बाद आरती अपनी मां सोमवती से 400 रुपए लेकर बुआ सोनी के साथ भैया दूज के लिए सामान खरीदने गंज मुरादाबाद जाने को कहकर घर से निकली थी। गांव के बाहर निकलते ही रास्ते में राजेश पुत्र गुड्डू, राहुल पुत्र रामस्वरूप व दो अन्य महिलाओं ने बात करने के बहाने आरती को रोक लिया। इसके बाद यह सभी लोग बात करने के लिए आरती को ग्राम प्रधान गुमानी के खेत में बने नए घर के पीछे ले गए, जबकि उसकी बुआ सोनी वही रास्ते में खड़ी रही। उधर राजेश ने बात करने के दौरान आरती पर चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण और परिजन घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीण और परिजनों को आता देख हमलावर साथियों संग फरार हो गया।

सहजीवन में रह रही महिला ने फंदे से लटककर की आत्महत्या, प्रेमी फरार

बरेली, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

थाना किला क्षेत्र में सहजीवन में रह रही एक महिला ने अपने घर के कमरे में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। क्षेत्राधिकारी सोनाली मिश्रा ने बताया कि घटनास्थल से एक आत्महत्या पत्र (सुसाइड नोट) मिला है, जिसमें मृतका ने अपने प्रेमी को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

थाना किला की पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विवाहिता पूजा मिश्रा अपने पति से अलग होकर यहां किला छावनी में किराए के एक मकान में अपने प्रेमी आलोक मिश्रा के साथ सहजीवन में रह रही थी। पुलिस को पूजा मिश्रा (28) का शव फंदे पर लटके होने की सूचना बुधवार को दोपहर बाद मिली थी।

क्षेत्राधिकारी सोनाली मिश्रा और थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराने के अलावा मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ की है। पुलिस को मिले आत्महत्या पत्र में मृतका ने अपने प्रेमी आलोक मिश्रा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने यह भी लिखा कि पति का कोई दोष नहीं है। मकान मालिक रमेश चंद्र ने बताया कि अपने को पति-पत्नी बताकर उनसे मकान किराए पर लिया था।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

शुद्धिपत्र

यह, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए और 16.10.2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित, किशन विश्वकर्मा - गायत्री देवी के नाम पर दिनांक 25.09.2025 की मांग सूचना और चौधरी संजय कुमार रमाकांत - नीतू देवी के नाम पर दिनांक 22.09.2025 की सूचना के संदर्भ में है। यह शुद्धिपत्र यह सूचित करने के लिए है कि कृपया दिनांक 16.08.2025 के स्थान पर दिनांक 16.10.2025 को पढ़ा जाए। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।

'वाटर एटीएम' नगरवासियों को नहीं दे पा रहे शुद्ध जल

कुशीनगर, 23 अक्तूबर (जनसत्ता)।

कुशीनगर जिले के नगर पंचायत मथौली के नगरवासियों को शुद्ध व ठंडा पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से नगर में कुल दस वाटर एटीएम लगाए गए थे। जो लगने के साथ ही देखभाल के अभाव में खराब हो गए। नगर पंचायत मथौली के 16 वार्डों में से 10 वार्डों में वाटर एटीएम मशीन लगाई गई हैं। जिसमें वार्ड नंबर तीन को छोड़कर बाकी सभी वाटर एटीएम खराब पड़े हैं। इन वाटर एटीएम पर लगभग चालीस लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है।

चालीस लाख रुपए खर्च कर लगाए गए थे दस 'वाटर एटीएम'।

वार्ड के लोगों ने बताया कि वाटर एटीएम लगने के कुछ दिनों तक पानी मिला और उसके बाद खराब हो गए। लेकिन कोई जिम्मेदार इसपर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 13 में आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में लगा वाटर एटीएम खराब होने से मरीजों व अन्य लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 12 श्रीराम बाजार जाने वाले मार्ग पर लगा एटीएम महीनों से खराब है। वार्ड नंबर 11 में भी वाटर एटीएम कुछ दिन चलने के बाद बंद हो गया। वार्ड नंबर एक धुस टोला पर लगा वाटर एटीएम खराब है। वार्ड नंबर आठ इंदिरा नगर दो महीना पूर्व लगा था जो दो चार दिन चला तब से बंद है। वहीं वार्ड नंबर छह सिंघासनी देवी स्थान पर वाटर एटीएम लगे चार माह हो गया है। यहां भी खराब है। श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पा रहा है। वार्ड नंबर चार उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगा वाटर एटीएम कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। वार्ड नंबर 16 में कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। इन वार्डों के अलावा वार्ड नंबर पांच,वार्ड नंबर नौ,वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर सात व वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 वाटर एटीएम मशीन नहीं लगा है।

pnb Housing Finance Limited — Ghar ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए, अचल संपत्ति/यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. टीसी/जी-2/2, और टीसी/जी-5/5, ऑफिस नंबर-307-308, तीसरी मंजिल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइबरहाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश

[illegible] **"जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और यहां जो कुछ भी है आधार"** [illegible] **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.pnbhousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या/ उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम(ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	भौतिक कब्जा	[illegible]	रु. 1697000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] दीप्ति सिंह, अरिदमन सिंह, बी.ओ. लखनऊ	रु.3122921.26 और 14-06-21	भौतिक कब्जा	[illegible]	रु.1951000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]